कार्यालय कलेक्टर जिला – कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

–॥ प्रारंभिक अधिसूचना ॥–

क्रमांक / 17884 / भू-अर्जन / 2024 कोरबा, दिनांक 20/12/2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :–

अनुसूची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम / प.ह.न.	ख.न.	क्षेत्रफल (हे. में)		
1	2	3	4	5	6	7
कोरबा	**दीपका**	**गंगदेई / 55**	386/15	0.070	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) कोरबा संभाग कोरबा	हरदीबाजार–तरदा –सर्वमंगला– इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी. में सी. सी. मार्ग का निर्माण कार्य।
			393/1	0.040		
			382/1	0.400		
			405/3	0.100		
			406/1	0.016		
			406/2	0.045		
			406/7	0.044		
			406/8	0.060		
			420	0.110		
			425/1	0.120		
			372/2	0.010		
			425/4	0.120		
			382/4	0.080		
			425/2	0.130		
			429/1	0.065		
			429/2	0.030		
			426/2	0.078		
			425/3	0.048		
			429/5	0.080		
			432/6	0.081		
			432/15	0.074		
			432/9	0.042		
			432/12	0.080		

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. ग.)

			421/1	0.064		
			406/3	0.048		
			433	0.040		
			434/1	0.048		
			434/2	0.072		
			436/4	0.127		
			436/2	0.080		
			437/2	0.210		
			394/1	0.200		
			438/2	0.058		
			429/3	0.008		
			438/3	0.032		
			439/1	0.072		
			350/1	0.092		
			440	0.048		
			404	0.070		
			394/2	0.070		
			432/18	0.031		
			432/17	0.024		
			432/20	0.071		
			432/5	0.021		
			योग 44	**3.409**		

2. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. ग.)

5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू–अर्जन के लिए कराए गए सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में लाभ अधिक होना पाया गया है।

6. प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, जिला कोरबा के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. ग.)

(अजीत वसंत)
कलेक्टर, कोरबा
एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग